**67 (14) मुख्यालय में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निदेशक बोर्ड की बैठकें आयोजित करना**

सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यम विशेषकर वे जो पूर्वोत्तर में स्थित हैं और अपनी निदेशक बोर्ड की बैठकें और अन्य उप समिति की बैठकें दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई आदि जैसे स्थानों में आयोजित करते हैं। ये बैठकें विरले ही संबंधित सरकारी लोक उद्यमों के मुख्यालयों में आयोजित की जाती हैं। यह भी इंगित किया गया है कि इससे संबंधित सरकारी उद्यम के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त निदेशक बोर्ड क्षेत्र संगठनों के सामने आने से वंचित रहता है।

2. सरकार ने इस मामले की जांच की है और यह निर्णय लिया गया है कि सामान्यतया निदेशक और निदेशक बोर्ड की उप–समितियों की बैठकें संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्यालय में आयोजित की जानी चाहिएं। तथापि कंपनी के यूनिट मुख्यालय में भी बैठकें आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह निदेशकों का कंपनी के विभिन्न प्रभागों/यूनिटों के कार्यकरण से परिचित कराने का अवसर प्रदान करेगी अगर बैठक सरकारी उद्यम के मुख्यालय अथवा यूनिट मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाती है तो ऐसा करने का कारण लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त निर्णय नोट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन किया जाता है, अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को सुझाव भी देने का अनुरोध किया जाता है।

**(लो.उ.वि. का 18 जुलाई 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(17)/2005– जी एम – जी एल–63)**